(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2300-PBR/2001 के विरूद्ध पारित आदेक दिनांक 15.10.2001 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग,ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 350/88-89 अपील.

.....

मनिष कुमार पुजारी पुत्र पुरुषोत्तम
नारायण दुबे व्यवसाय पुजारी पंडित
निवासी— मुगावली जिला गुना
म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.मूर्ति नर सिंह जी विराजमान श्री नरसिंह

मुगावली द्वारा महेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह मुगावली

2.परमार सिंह
3.यशवंत सिंह = पुत्रगण गणपत सिंह मुगावली
4.श्रीमती शकुन्तलाबाई पत्नी उदय सिंह
5.श्रीमती भगवती बाई पत्नी त्रिलोकसिंह नाथ पुत्री गणपत सिंह .....अनावेदकगण
6.श्रीमती बिमला बाई पत्नी विजय सिंह
कं 3 4 5 6 7 द्वारा मुखत्यार परमाल सिंह
7.बलवीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह
8भगवती प्रसाद प्रकरण मोतीलाल
9.पुरुषोत्तम ब्राम्ह मुंगावली
10.पूरन प्रसाद द्वारा पूरन प्रसाद मुंगावली
11मोहन प्रसाद

.....

श्री एस0सी0 पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0 के0 अग्रवाल अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आदेश दिनांक 24-1-17 का पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के प्रकरण कमांक 350/88-89 में पारित आदेक दिनांक 15.10.2001 विरूद्व अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग,ग्वालियर प्रकरण कमांक 350/88-89 अपील के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिग्री के आधार पर ग्राम कस्बा रेंज स्थित भूमि सर्वे कं 0300, 301,.305, पर मूर्ति श्री नरसिंह जी विराजमान श्री नरसिंह मंदिर मुंगावली भूमिस्वामी के नाम राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने के आदेश दिनांक 18–2–2000 को दिये गये है। तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्व आवेदक मनीष कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2001 को अपील अस्वीकार किये जाने के कारण इस आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर में यह अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा 15.10.2001 को अस्वीकार की गई इससे व्यथित होकर यह निगरानी इय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा एस0 डी0 ओ0 मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसमें स्थगन आदेश दिया गया है किन्तु अपील में निर्णय में एस0डी0ओ0 मुगांवली ने आंशिक संशोधन किया और प्रबंधक जिलाध्यक्ष गुना (अब जिला अशोकनगर) लिखकर नामांतरण मूर्ति श्री नरसिंह जी पबुंधक जिलाध्यक्ष गुना नाम से स्वीकार कर दिया जबकि जिलासध्यक्ष को प्रबंधक बनाने का आवेदन उभयपक्ष द्वारा दिया ही नहीं गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि अशासकीय मंदिर का कलेक्टर प्रबंधक नहीं होता है शासकीय मंदिर का कलेक्टर प्रबंधक होता है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा है कि प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर कर दिया जावे।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये गये हैं वह विधि प्रावधानों से उचित हैं उनमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं हैं। अंत में उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर कर दिया जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में अवगत कराया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने भूमिस्वामी मूर्ति को माना है और प्रवन्धक कलेक्टर गुना (अब अशोक नगर) अंकित करने के आदेश दिये गये है। तहसील न्यायालय द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है मंदिर निजी है व भूमि भी निजी है। शासन की नहीं है। मोतीलाल को व्यवहार न्यायालय में पुजारी माना गया है । अन्होने 1995 – आर 0एस 0–335.387 की ओर ध्यान आकषिर्त किया है तथा वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी मूर्ति नरसिंह जी भगवान के साथ उसका पूजारी या ट्रस्टी के रुप में अकित किया जावे। रिस्पा0 अभिभाषक ने अपने अर्क में अवगत कराया है कि पुजारी मोतीलाल थे। उसके वाद उनके लडकी का नाम आता है मोतीलाल के नाती (लडके के लडके) पुजारी सीधे नहीं हो सकते है अपील करने का कोई अधिकार नहीं है आपत्तियों पर अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है व्यवहार न्यायालय का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक स्थिर रहा है इसलिये अव कोई तथय विवाद का नही रहा जाता है अधिनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जावे । उन्होने 1993 आर–एस043 1992 आर0एन 208 की और ध्यान आकर्षित कराया है।

6– अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा सर्वे कं 300 एव 301 व 30512 पर मूर्ति श्री नरसिंह जी विराजमान श्री नरसिंह मंदिर को भूमिस्वामी घोषित किया है एवं मात्र सर्वे कं 30512 जो मोतीलाल

पुजारी के कब्जे में है उक्त भूमि पर मात्र वहैसियत पुजारी माना है तब डिग्री पारित की है इस डिक्री को अपर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को इस तथ्यो में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है जहां तक मंदिर निजी होने का प्रश्न है आवेदक को व्यवहार न्यायालय से माननीय सर्वोच्च न्याया0 व अधिनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया गया है। निजी मंदिर होने के संबंध में वह चाहता तो इन न्यायालयों में प्रमाण – प्रस्तुत कर सकता था इस न्यायालय में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में मंदिर शासकीय ही माना जावेगा और शासकीय मंदिर की भूमि पर प्रबन्धक कलेक्टर ही अंकित होगा ताकि भूमि को सुरक्षित रखा जा सके। जहां तक आवेदक पुजारी नियुक्ति से संबंधित विन्दु है इस संबंध में आवेदक सक्षम अधिकारी के पास प्रथक से पुजारी नियुक्ति के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है, जिस पर नियामानुसार निर्णय लिया जावेगा और इस कार्यवाही के लिये तहसीलदार न्यायालय सक्षम नहीं है तथा जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत पुजारी नियुक्त किया जावेगा उसका नाम नियमानुसार अभिलेख में दर्ज रहेगा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में सभी विन्दुओं पर विचार करते हुए स्पष्ट एवं विस्तुत आदेश पारित किया गया है मैं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश एवं अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर से पूर्णतः सहमत हू। प्रश्नाधीन निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती । परिणामस्वरूप अपर आयुक्त गवालियर संभाग गवालियर का आदेश दिनांक 15.10.01 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर